बजट घोषणा वर्ष 2014-2015

क्रसं.	घोषणा बिन्दु	घोषणा
1	19.0	राज्य के नागरिकों को शहरी, ग्रामीण व अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन की सस्ती, सुलभ, सुरक्षित, कुशल और विश्वस्त सेवाएं उपलब्ध कराना मेरी सरकार के good governance agenda की प्रमुख प्राथमिकता है। राज्य में लगभग किलोमीटर सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है। 388 हजार 16RSRTC, यथासंभव प्रयास करने के बाद भी, राष्ट्रीयकृत सड़कों से जुड़े सभी शहरों और गाँवों को सुलभ तथा पर्याप्त बस सुविधा उपलब्ध नहीं करा पायी है। परिणामतः राज्य में अवैध बसों और जीपों इत्यादि के माध्यम से असुरक्षित परिवहन व्यापक रूप में प्रचलित है। अब वो जमाना नहीं रहा कि राजकीय उपक्रमों को कानूनी monopoly दी जाये। जनसंख्या भी बढ़ी है, और देश में निवेश करने की गुंजाईश भी है। हमारा मुख्य उद्देश्य जनता को सुविधाजनक एवं legal परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराना है। इसलिए वर्तमान व्यवस्था में बदलाव लाकर सुधार करना होगा। अतः मैं राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्गों को de-nationalise करने की घोषणा करती हूँ।
2	20.0	राज्य में RSRTC की बसों के संचालन हेतु बस अड्डे हैं। इन बस अड्डों पर यात्रियों के लिए 80 वाँछित सुविधाओं का व्यापक अभाव है। इन बस अड्डों का उचित विकास कर, न केवल बसों का सुचारू संचालन किया जा सकता है, बल्कि यात्रियों को होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग इत्यादि व निजी बसों की सेवायें भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। राज्य के प्रमुख बस अड्डों को आधुनिक रूप में विकसित करने तथा वहाँ से रोडवेज तथा निजी बसों के सुलभ संचालन हेतु, मैं राज्य में राजस्थान स्टेट बस) कारपोरेशनपोर्ट सर्विसेज्-RSBSC) के गठन की घोषणा करती हूँ। मैं इस वर्ष के परिवर्तित बजट में RSRTC के माध्यम से बस पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन को-equity देने के लिए करोड़ रुपये 360 का प्रावधान कर रही हूँ।
3	21.0	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनेक वर्षों से घाटे में चल रहा है। राज्य सरकार द्बारा विभिन्न मदों में अरबों रुपयों का अनुदान उपलब्ध करवाने के बावजूद भी राजस्थान रोडवेज का संचित घाटा वर्ष 2013-करोड़ रुपये हो गया है। रोडवेज 974 हजार 1 तक 14, राज्य सरकार से सहायता और ऋण लेकर, कर्मचारियों के पेंशन फण्ड से उधार लेकर और बैंकों से ऋण लेकर, किसी तरह से बसों का संचालन कर रहा है। इस स्थिति को सुधारना आवश्यक है। राज्य सरकार ने RSRTC के साथ एक Reform Linked Assistance कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से RSRTC के कर्मचारियों के jobs पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने commitments की पूर्ति करने पर राज्य सरकार RSRTC को करोड़ रुपये प्रतिमाह का अनुदान देगी। मुझे विश्वास है कि 10 Reform linked agenda कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर RSRTC एक अधिक सशक्त और प्रभावी operator के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकेगी।

4	22.0	वर्ष में भाजपा सरकार ने उदारीकरण की 1995दृष्टि से अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर चेकस पोस्ट्-र्राज्यीय यातायात में तेजी से वृद्धि हुईसमाप्त की थीं। इससे अन्त, जिससे trade and commerce में बढ़ोतरी हुई। लेकिन वर्ष पोस्टों -में कांग्रेस सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग की चेक 2000 से 1999 को पुनः स्थापित किया। वर्ष पोस्टों को समाप्त -में हमने पुनः वाणिज्यिक कर विभाग की चेक 2008 कर दिया। इसी क्रम में, अब मैं र्राज्यीय सीमाओं परअन्त 16Computerised Border Check Post एवं weigh bridges सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से स्थापित करने की घोषणा करती हूँ।
5	192.0	परिवहन विभाग द्बारा आमजन को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने तथा वाहन स्वामियों को कर जमा कराने हेतु त्वरित व पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के समस्त कार्यालयों का आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कंप्यूटराईजेशन किया 2 जायेगा।
6	318.0	केन्द्र सरकार के स्तर पर गठित Transport Development Council द्वारा 7500 कि .ग्रा.Gross Vehicle Weight तक के भार वाहन तथा Taxi एवं Maxi Cab पर एक मुश्त कर आरोपित किए जाने की अनुशंसा की गई है। Transport Development Council की अनुशंसा के अनुरूप, नये पंजीकृत होने वाले इन वाहनों पर एकमुश्त कर अनिवार्य रूप से आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस एकमुश्त कर को एक वर्ष में 6 समान किश्तों में जमा कराने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। ऐसे वाहन जिनके लिये वर्तमान में एकमुश्त कर जमा कराना अनिवार्य नहीं है, उन्हें भी एकमुश्त कर जमा कराने का विकल्प लेने पर 6 समान किश्तों में जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
7	319.0	3 लाख रुपये तक के मूल्य की कारों पर 4 प्रतिशत तथा 3 लाख रुपये से अधिक एवं 6 लाख रुपये तक के मूल्य की कारों पर 6 प्रतिशत की दर से एकबारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।
8	320.0	200 CC तक की इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर एकबारीय कर दर को यथावत रखते हुए, 200 CC से अधिक व 500 CC तक 8 प्रतिशत एवं 500 CC से अधिक इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर 10 प्रतिशत की दर से एकबारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।
9	321.0	Transport Vehicles पर पंजीयन तथा पंजीयन नवीनीकरण के समय और Transport Vehicles पर पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाणवाहनों क ,पत्र के नवीनीकरण के समय-ी दुपहिया श्रेणियां यथा 3 आरोपित किया हुआ है। (सैस) तथा परिवहन यान पर ग्रीन टैक्सपहिया वाहन से भिन्नदु ,वाहन से आरोपण करने के उद्देश्य (सैस) अधिक फ्यूल खपत करने वाले वाहनों पर अधिक ग्रीन टेक्स होने वाले फ्यूल व बैठक क्प्रयुक्त ,वाहन की इंजन क्षमताषमता आधारित श्रेणियां बनाकर ग्रीन टैक्स की दरों में संशोधन करते हुए ग्रीन टैक्स की अधिकतम सीमा तय किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे डीजल चालित Non Transport चार पहिया वाहन जिनकी इंजन क्षमता 2000cc तक है या इंजन क्षमता 2000cc से अधिक है व बैठक क्षमता सीट तक 5 है उन पर एक हजार रूपये तथा इससे अधिक इंजन क्षमता व बैठक क्षमता के वाहनों पर पांच हजार रूपये की दर से ग्रीन टैक्स आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

10	322.0	वर्तमान में राजस्थान के बाहर से पंजीकृत वाहनों के राज्य में प्रवेश पर देय कर की गणना तथा भुगतान का कार्य जंग tax collection centre पर किया जाता है। इस व्यवस्था का सरलीकरण करते हुए देय कर की गणना तथा भुगतान ईचेक पोस्ट पोर्टल के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रदान- साथ राज्य में -की जायेगी। इस योजना से देय कर की अदायगी में सहजता और पारदर्शिता के साथ बाहर से आने वाले व्यावसायिक वाहनों के यात्रियों को चेक पोस्ट पर बिना समय नष्ट किये सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।
11	360.0	अजमेर शहर से एक DTO कार्यालय का headquarter नसीराबाद किया जायेगा।